रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2014/ज्येष्ठ 19, 1936
No. 305] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2014/JYAISTHA 19, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2014

सा.का.नि. 389(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 755(अ), तारीख 28 नवंबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशित किए गए थे और उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 28 नवंबर, 2013 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम 1 अक्तुबर, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 96 के उपनियम (9) में,-

(क) खंड (i) में "और एन 3" शब्द, अक्षर और अंक का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(ii) 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम 3 और एन 3 यानों के नए मॉडल"

"(iii) 1 अक्तूबर, 2015 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम 3 और एन 3 प्रवर्ग के यानों के विद्यमान मॉडल "

[फा. सं. आरटी-11028/20/ 2006-एमवीएल]

संजय बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 364(अ), तारीख 28 मई, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2014

G.S.R. 389(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 755(E), dated the 28th November, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th November, 2013;

And, whereas, suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (9th Amendment) Rules, 2014.
 (2) They shall come into force on the 1st October, 2014.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 in rule 96, in sub- rule (9) ,-
 (a) in clause (i), the word, letter and figure "and N3" shall be omitted;
 (b) for clauses (ii), (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely :—
 "(ii) new models of M3 and N3 categories of vehicles manufactured on and after the 1st April, 2015;
 (iii) existing models of M3 and N3 categories of vehicles manufactured on and after the 1st October, 2015".

[F. No. RT-11028/20/2006-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 364(E) dated the 28th May, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.